फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी मुकाम गोविन्दगढ़

बनाम

भागचन्द प्र०सं० 2134/22 किशन लाल

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
20/7/22 वकील प्रार्थी उपस्थित। मद प्रा० पत्र 212 RTA वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। दर्ज रजि० हो। प्रस्तुत प्रा० पत्र व संलग्न शपथ एवं पत्रादि का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी प्र० पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि वो आ०ख०नं० 146, 147, 155 वाके ग्राम मैनसड़ावत तहसील गोविन्दगढ़ के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति प्रार्थी के हित में बनाए रखें। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश की पालना में कोई उज्र हो तो दिनांक 18 8/22 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली दिनांक 18/8/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर)	

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गोविन्दगढ जिला अलवर

आगन्द बनाम किशनलाल

प्रकरण सं. 2/34/2022 तारीख रजू 20.7.2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
29.1.24	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील व उनके प्रार्थी को न्यायालय द्वारा बार-बार आवाज लगवायी गई। सायं 5:00 बजे तक इंतजार किया। तथा पुनः आवाज लगवायी गई। इसके बावजूद वकील व उनके प्रार्थी उपस्थित नहीं आये। अतः प्रार्थना पत्र-212 वकील व उनके प्रार्थी की अदम हाजिरी-अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०	